भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3096

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है

28 फाल्गुन, 1946 (शक)

नागरिक सेवाओं की आपूर्ति के लिए व्हाट्सएप का उपयोग

3096. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्हाट्सएप के विदेश स्थित सर्वर के माध्यम से भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा का प्रसारण कानूनी रूप से मान्य है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार को नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा के प्रसारण से संबंधित गतिविधियों में व्हाट्सएप जैसे विदेशी-आधारित सेवा प्रदाता को एकीकृत करने के लिए भारत सरकार की अनुमति की आवश्यकता है और यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसी मंजूरी प्राप्त की है;

(ग) क्या यह सच है कि अमेरिकी अधिकारियों के पास ऐसे कानून हैं जो उन्हें मेटा (फेसबुक) और व्हाट्सएप से डेटा प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, भले ही ये प्लेटफॉर्म एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सेवाएं प्रदान करते हों; और

(घ) भारत सरकार द्वारा शासन-संबंधी सेवाओं में व्हाट्सएप जैसे विदेशी प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रेषित भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): भारत सरकार की नीतियों का उद्देश्य देश के उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह साइबर स्पेस सुनिश्चित करना है।सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ('डीपीडीपी अधिनियम') अधिनियमित किया है और डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करने के लिए आईटी अधिनियम के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (समुचित सुरक्षा पद्धतियां और प्रक्रियाएँ और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियमावली, 2011 ("एसपीडीआई नियमावली") को अधिसूचित किया है।

इसके अलावा, एसपीडीआई नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी निकाय निगम किसी वैयक्तिक संवेदनशील निजी डेटा या जानकारी को किसी अन्य ऐसे निकाय निगम या भारत में स्थित या भारत के बाहर के किसी व्यक्ति को किसी करार की पूर्ति करने के उद्देश्य से या व्यक्ति द्वारा सहमति प्रदान करने पर ही प्रेषित कर सकता है जो समान स्तर का डेटा संरक्षण प्रदान करता है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि नागरिकों को नागरिक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से व्हाट्सएप मैसेजिंग सेवा को एकीकृत किया गया है। व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा को पारस्परिक संविदात्मक समझौतों के अनुसार स्थानीय सर्वर पर संग्रहीत किया जा रहा है।

इसके अलावा, डीपीडीपी अधिनियम डेटा संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करते समय सुरक्षा संरक्षोपायों के साथ-साथ मजबूत तकनीकी और संगठनात्मक उपायों को लागू करने के लिए डेटा फिड्यूशरीज़ को अधिदेशित करता है। डीपीडीपी अधिनियम के तहत केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा भारत के बाहर किसी अन्य देश या क्षेत्र में व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए डेटा फिड्यूशरी द्वारा व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर सकती है। इसके अलावा, डेटा फिड्यूशरीज़ डेटा हस्तांतरण संबंधी ऐसे अन्य किसी भी उच्च संरक्षण या प्रतिबंध का भी पालन करेंगे जो किसी अन्य कानून के तहत लागू हो।

******